



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222031
CG-DL-E-26092020-222031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 380]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/81/16-डीडी/145/16-डीसी/553/17.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. गायत्री श्रीनिवासन (सदस्यता संख्या 100398), 102/18, रिजेंसी एस्टेट कल्याण शील रोड, वेंकटेश पेट्रोल पंप के समीप, डोंबिवली ईस्ट, मुंबई 421 203 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (10) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. गायत्री श्रीनिवासन (सदस्यता संख्या 100398) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. गायत्री श्रीनिवासन (सदस्यता संख्या 100398) का नाम, 25 सितंबर, 2020 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन- III/4/असा./245/2020-21]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/81/16-DD/145/16-DC/553/17.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Gayatri Srinivasan (Membership No. 100398), 102/18, Regency Estate Kalyan Shil Road, Near Venkatesh Petrol Pump, Dombivali East, Mumbai 421 203**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (10) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Gayatri Srinivasan (Membership No. 100398) from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs.25,000/- (Twenty Five Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Gayatri Srinivasan (Membership No. 100398)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) year with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty/245/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/70/14-डीडी/48/आईएनएफ/14-डीसी/558/17.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. युवराजकुमार मुल्कराज अग्रवाल (सदस्यता संख्या 010397), 406, कंचनगंगा, चौथा तल, गुरुद्वारा चार बंगलो के समीप, जे पी रोड, डी एन रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400 053** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. युवराजकुमार मुल्कराज अग्रवाल (सदस्यता संख्या 010397) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. युवराजकुमार मुल्कराज अग्रवाल (सदस्यता संख्या 010397) का नाम, 25 सितंबर, 2020 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./245/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/70/14-DD/48/INF/14-DC/558/17.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Yuvarajkumar Mulkraj Agarwala (Membership No. 010397), 406, Kanchangaga, 4th Floor, Near Gurudwara Four Bunglow, J P Road, D N Road, Andheri West, Mumbai 400 053**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Yuvarajkumar Mulkraj Agarwala (Membership No. 010397) from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Yuvarajkumar Mulkraj Agarwala (Membership No. 010397)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext/245/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/38/15-डीडी/47/15/डीसी/609/2017.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, **सीए. नेहा रानी (सदस्यता संख्या 520569), सी-619, सरस्वती विहार, पीतमपुरा, दिल्ली 110 034** को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नेहा रानी (सदस्यता संख्या 520569) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि **सीए. नेहा रानी (सदस्यता संख्या 520569)** का नाम, 25 सितंबर, 2020 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./245/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/38/15-DD/47/15/DC/609/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Neha Rani (Membership No. 520569), C-619, Saraswati Vihar, Pitampura, Delhi 110 034**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Neha Rani (Membership No. 520569) from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the

aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Neha Rani (Membership No. 520569)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(one) month with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext/245/2020-21]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/287/14-डीडी/343/14/डीसी/632/2017.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18 (17) और 19 (1) के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख (3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अनुपम डे (सदस्यता संख्या 059466), मार्फत श्रीमती शक्ति रानी डे, मेघ मल्लार, फ्लैट नंबर 4एफ/2, ब्लॉक-2, 18/3, गरियाहाट रोड, कोलकाता 700 019 को, पूर्वोक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) और दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (4) तथा भाग 3 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अनुपम डे (सदस्यता संख्या 059466) के नाम को 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया था और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया था। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अनुपम डे (सदस्यता संख्या 059466) का नाम, 25 सितंबर, 2020 से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

राकेश सहगल, कार्यकारी सचिव

[विज्ञापन- III/4/असा./245/2020-21]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 2020

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/287/14-DD/343/14/DC/632/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Anupam Dey (Membership No. 059466), C/o Mrs. Sakti Rani Dey, Megh Mallar, Flat No. 4F/2, Block -2, 18/3, Gariahat Road, Kolkata 700 019.**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule and Clause (4) of Part II and Clause (1) of Part III of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid CA. Anupam Dey (Membership No. 059466) from the Register of Members for a period of 03(Three) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Anupam Dey (Membership No. 059466)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) years with effect from 25th September, 2020.

RAKESH SEHGAL, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext/245/2020-21]